सं0-420/XXVIII-5-2005-47/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,

उप सचिव,

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

देहरादून/टिहरी ।

चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक : 23 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2005

विषय: स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जनपद देहरादून तथा टिहरी में परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण के पत्र सं0-7प/1/निर्माण/14/2005/21071 दिनांक 09.09.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 में जनपद देहरादून तथा टिहरी में संलग्न विवरण में उल्लिखित स्थानों पर परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवन के निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 12,30,000.00(रू0 बारह लाख तीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्कानुसार रू0 12,30,000.00 (रू0 बारह लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा ।

- आगणन में उल्लेखित दरों कर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / नुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली यी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से ाविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से धिक व्यय कदापि न किया जाय ।

- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम धिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय लन करना सुनिश्चित करे ।

0- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ श्यक करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ार्य किया जाये ।

1- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, क मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से र्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में ाया जाए ।

2- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 रीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया ायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है ।

3- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की णना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत रीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक 10-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य ार्थे पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 02-अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल

कम्पोनेन्ट प्लान, 0201- उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- 25 /वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2005 दिनांक 29.10.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0-420/XXVIII-5-2005-47/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, देहरादून / टिहरी गढ़वाल ।
4- जिलाधिकारी, देहरादून / टिहरी गढ़वाल ।
5- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तरांचल ,देहरादून ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ।
7- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
8- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
10- आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमायु मण्डल ।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0 सं0-420/XXVIII-5-2005-47/2005 दिनांक 21.11.05 का संलग्नक:

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	अनुमोदित लागत	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	प0क0उपकेन्द्र बडवा का भवन निर्माण	देहरादून	पे0ज0नि0	रू0 4.80	रू0 4.80
2	प0क0उपकेन्द्र दोणी का भवन निर्माण	टिहरी	पे0ज0नि0	रू0 7.50	रू0 7.50
			योग	रू0 12.30	रू0 12.30

(रू0 बारह लाख तीस हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव